प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 13.06.2025

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *01- थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा वारण्टी नाम पता विवरण* रविन्द्र चौधरी पुत्र रूदल चौधरी निवासी घटरम्हा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अवधेश सिंह यादव, अनिल कुमार सिंह।

02- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता विवरण अकालू पुत्र रामचरन निवासी बनकसिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विजय कुमार सिंह, का0 शिवदास गोंड।

03-थाना महुली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता विवरण- प्रदुम पुत्र सदानन्द निवासी पदुमपट्टी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री श्याम देव प्रसाद, का0 राहुल कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 6001 द्वारा पिकअप व बस के टक्कर होने से घायल 03 व्यक्तियों को** भेजवाया गया अस्पताल–*
पीआरवी 6001 को थाना को० खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मगहर बाइपास से कालर द्वारा अनियंत्रित पिकअप व बस के टकराने के कारण दुर्घटना में घायल पिकअप सवार बिहार राज्य के 03 व्यक्तियों (01.शत्रुघ्न उम्र 42 वर्ष, 2.उज्जवल उम्र 23 वर्ष, 03तनु शाह उम्र 30 वर्ष निवासीगण जनपद भोजपुर राज्य बिहार) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेन्स की सहाय्रता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* हे0का0 मोहन प्रजापति, का0 अजीजुल्लाह खां, हो०चा0 रसीद अहमद।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 41 वाहनों से 38,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 41 वाहनों से 38,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा चोरी के 06 मामलों का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के वाहन व सामान बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना* के** निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन एवं व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व आज दिनांक 13.06.2025 को मेंहदावल बाईपास सर्विस लेंन से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नौशाद पुत्र अनवर निवासी भिटवा टोला नूरी मस्जिद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, हाल मुकाम काशीराम आवास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

01- दो अदद चोरी की मोटरसाईकिल।

02- एक जोड़ा झुमका पीली धातु।

03- एक जोड़ा पायल सफेद धातु।

04- चार अदद बैट्री ई रिक्शा।

05- कुल नगद 15700 रुपये चोरी से प्राप्त।

घटनाएं जिनका सफल अनावरण हुआ -

01- दिनांक 02.05.2025 को श्री अनिल पुत्र लाल जी निवासी कर्री खास पोस्ट सिकरी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर जो समय माता मंदिर पर आये थे, इनकी मोटरसाइकिल पोखरे के पास से चोरी हो गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 504/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। उक्त वाहन की बरामदगी अभियुक्त के कब्जे से हुई है।

02- दिनांक 02.04.2025 को श्री हृदयलाल पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी मुसरद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर ने सूचना दिया कि गन्ना विकास स्कूल तितौवा से चोरी हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद मु0अ0सं0 358/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया। वाहन की बरामदगी की गयी।

***03**-* दिनांक 30.01.2025 को श्रीमती गुजराती देवी पत्नी रामनाथ निवासी बीमापर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर नें सूचना दिया कि अजगईबा घाट पर उनकी देशी शराब की दुकान है जिसमें बीती रात अज्ञात चोर द्वारा 26300 रु0 व पीओएस मशीन आदि चोरी कर ली गयी है, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 87/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस पंजीकृत है। उक्त घटना का सफल अनावरण किया गया।

04- दिनांक 30.05.2025 को श्री राकेश पटेल पुत्र लालदेव निवासी भुजैनी ने सूचना दिया कि अज्ञात चोर द्वारा उनके टिनशेड को हटाकर घर में चोरी की गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 475/2025 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत है। उक्त घटना का सफल अनावरण किया गया।

05*- दिनांक 24.03.2025 को वादी श्री अखिलेश यादव पुत्र रामनयन निवासी भगता थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि औद्यौगिक क्षेत्र से केला प्लांट के पास से ई रिक्सा चोरी हो गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0स0 302/2025 धारा 303 बीएनएस पंजीकृत है। उक्त घटना का सफल अनावरण किय गया।

06- दिनांक 10.06.2025 को श्री मत्येन्द्र कुमार सिंह पुत्र अंशुमान सिंह निवासी बनटिया थाना कोतवाली खलीलाबाद ने सूचना दिया कि जेल रोड के पास दुकान है जिसमें से 10000 रु0 नकद अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिया गया है। उक्त घटना का सफल अनावरण किया गया।

पूछताछ विवरणः- पकड़े गये अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि मैं अपने निजी खर्चों व नशे के लिए चोरी करता हूं। मेरे द्वारा उपरोक्त सभी चोरियां घूम-घूम कर की गयी हैं, तथा पास से बरामद धनराशि व वाहन तथा निशानदेही से बरामद सामानों के अतिरिक्त अन्य पैसे खर्च हो गये है, तथा कुछ सामान कबाड़ के रुप में बेच दिया हूं। जिससे पूछताछ से अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है, जिसके सम्बन्ध में अवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

उ0नि0 श्री अशोक कुमार दुबे, उ0नि0 चौकी प्रभारी बरदहिरया श्री ललित कान्त यादव, का0 मनीष कुमार यादव, घनश्याम मणि, का0 अरविन्द तिवारी, का0 पंकज विश्वकर्मा।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना* के** निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन एवं व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डे*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक धनघटा ***श्री राम कृष्ण मिश्र*** के नेतृत्व में थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 225/2025 धारा 137(2), 87, 61(2)(बी)/352 बीएनएस के मामले में वांछित बाल अपचारी को उसके घर से अभिरक्षा में लेकर कर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 17.05.2025 को थाना धनघटा पर वादिनी की पुत्री को उपरोक्त बाल अपचारी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 13.06.2025 को उक्त बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर कर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अनिल कुमार राय, हे0का0 मोहन कुमार।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को मारपीट के मामलें में 03 माह के सदाचरण कायम रखने व 6000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 13.06.2025 को ***मा0न्यायालय सी0जे0 (एस0डी0) ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा 01 अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 03 माह का सदाचरण कायम रखने व 6000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

विवरणः-

मु0अ0सं0 464/1999 धारा 323/504/324 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त ग्रीश चन्द्र उपाध्याय पुत्र नरायन उपाध्याय निवासी चैनपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को धारा 323/504/324 भा0द0वि0 के मामले में 03 माह का सदाचरण कायम रखने व 6000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 333/2025 धारा 137(2), 87,64(2)(m) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सुरजीत पुत्र स्व0 सुरेन्द्र उर्फ सोली निवासी देवरिया रामबक्श थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 13.06.2025 को नौरंगिया चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को दिनाँक 22.04.2025 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 13.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, हे0का0 दुर्गेश यादव।